

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक:एफ. 14(ROAD)2015 / एफसीए / प्रमुवसं. /

दिनांक

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैंड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा झालावाड राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम बीनागंज टू बलबटपुरा अण्डर आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड डिस्ट्रिक्ट झालावाड.

(प्रस्ताव संख्या -FP/RJ/ROAD/11683/2015)

संदर्भ:-राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(68)वन/2017 दिनांक 02.04.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दूवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार प्रेषित है:-

क. सं.	बिन्दूवार विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी तथा उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	परियोजना निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियाँ एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Kotapattu Chinnapan
Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief
Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.11.12 14:28:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18803512

eSign 1.0



5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।																		
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस /केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकी निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।	यूजर एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।																		
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।																		
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।																		
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा संभव राशि जमा की जायेगी।	पतन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है, जिसका विवरण क्रम संख्या-10 में अंकित है।																		
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी।	उप वन संरक्षक, झालावाड के पत्रांक एफ ()/एफसीए/उवसं/2023/11019 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा डिमाण्ड राशि रु. 1648288/- में से समायोजित राशि रु. 929810/- के अतिरिक्त जमा करवायी जाने वाली राशि रु. 718478/- नोडल अधिकारी के वेरिफिकेशन उपरान्त खण्ड कार्यालय के AC/ द्वारा (WAM Reference No. 49684242) यूनियन बैंक के चालान 6111683852 में A/C No. 150856111683852 जमा करवा दिये गये है। जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है-																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त</th> <th>मद</th> <th>डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रुपये)</th> <th>समायोजित राशि</th> <th>जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>शर्त संख्या 9</td> <td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण</td> <td>735896</td> <td>17418</td> <td>718478</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>शर्त संख्या 10</td> <td>एनपीवी</td> <td>896482</td> <td>896482</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मद	डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रुपये)	समायोजित राशि	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि	1	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	735896	17418	718478	2	शर्त संख्या 10	एनपीवी	896482	896482	0
क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मद	डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रुपये)	समायोजित राशि	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि															
1	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	735896	17418	718478															
2	शर्त संख्या 10	एनपीवी	896482	896482	0															

Signature valid

RajKaj Ref No.:
18803512

eSign 1.0

Digitally signed by Kotapratu Chinnapan
Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief
Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.11.12 14:28:59 IST
Reason: Approved

		3	–	Soil and moisture treatment works	15910	15910	0
		4	योग:-		1648288	929810	718478
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।	वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।					
12	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।					

Signature valid

Digitally signed by Kotapati Chinnapan
Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief
Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.11.12 14:28:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18803512

eSign 1.0

13	<p>भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।</p>
----	--	---

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ. 14(ROAD)2015/एफसीए/प्रमुवसं./

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।

दिनांक

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Kotapattu Chinnapan
Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief
Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.11.12 14:28:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18803512

eSign 1.0

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified** : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Unpaid** : This icon shows that the payment yet to be made.
- Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid** : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : Paid Unpaid All

Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/11683/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/11683/2015) Road from Beenaganj road to Balwatpura	ROAD116832015852	04 Feb 2018	CA: 718478/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 0/- nil: 0/- nil: 0/- nil: 0/- Total :718478/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 22 Nov '2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 21 Dec '2023 Transaction Date 22 Apr '2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/271020231048340368_FPRJROAD116832015_User_Fund_Demr Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD116832015852)

Verified after postal
(Signature)
उप वन सहायक निदेशक (ए.)
राजस्थान, जयपुर



कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffd.p.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/6643

दिनांक: 19.11.2024

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विशय:- Diversion of 0.936ha. of forest land in favour of public Work Department Aklera Jhalawar Rajasthan for Construction for road Beenaganj to Balwantpura under RIDF Scheme in Jhalawar dist. (Proposal No.FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग:- उप वन संरक्षक, झालावाड का पत्रांक 16277 दिनांक 28.10.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एफसीए मितिग 18.10.2024 को दिए गए निर्देशों की पालना में पुनः रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं.	लगाये गये आक्षेप	पूर्ति
1.	अवशेष राशि 718478/-रु का मिलान अभी कैम्पा खाते में नहीं हो रहा है।	अवशेष राशि 718478/-रु कैम्पा खाते में दिनांक 22.04.2022 को जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।
2.	वनाधिकार प्रमाण पत्र मय संलग्न नहीं है।	वनाधिकार प्रमाण पत्र मय पत्र के साथ संलग्न है।
3.	उप वन संरक्षक द्वारा अद्यतन "No Violation Certificate"	क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई गैरवानिकी कार्य नहीं हुआ है। पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

दिनांक: 19.11.2024

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/6644

प्रतिलिपि:-01. उप वन संरक्षक, झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

RajKaj Ref
11871450



संभागीय मुख्य वन संरक्षक
Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.11.19 11:31:44 IST
Reason: Approved

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/ 6645

दिनांक: 19.11.2024

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP
(phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar.

प्रसंग:- उप वन संरक्षक, झालावाड का पत्रांक 15056 दिनांक 20.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैधांतिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। एफसीए मितिग दिनांक 18.10.2024 की पालना में एफआरए प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

दिनांक: 19.11.2024

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/ 6646

प्रतिलिपि:-01. उप वन संरक्षक, झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
11872777



Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.11.19 11:30:18 IST
Reason: Approved

emailed on 19/11/24 at 6:52 PM

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194
क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/ 6647 दिनांक: 19.11.24

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Construction of NH- 12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under
RRSMP (phase II) in Rajasthan.

प्रसंग:- उप वन संरक्षक, झालावाड का पत्रांक 15056 दिनांक 12.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैधांतिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। एफसीए मितिग दिनांक 18.10.2024 की पालना में एफआरए प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

दिनांक: 19.11.2024

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/ 6648
प्रतिलिपि:-01. उप वन संरक्षक, झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
11873200



Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.11.19 11:28:56 IST
Reason: Approved

emailed on 19/11/24 at 6:02 pm

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

क्रमांक : 1057

दिनांक : 26.12.2023


श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

- विषय :- डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैंड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा झालावाड राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रम बीनागंज टू बलबटपुरा अण्डर आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड डिस्ट्रिक्ट झालावाड (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015)
- प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ ()/एफसीए/उवसं/2023/11019 दिनांक 16.10.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त कार्य का संशोधित डिमाण्ड राशि रु. 1709586/- को पूर्व में स्वीकृत कार्य Construction of Road A/R to Sanwalda under State Plan 5054 . Capital lay on road and bridge (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7609/2015) को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1 (44) वन/2015 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा निरस्त की गयी (प्रतिलिपी संलग्न) की जमा राशि 12697639/- में से राशि रु. 929810/- समायोजित करने की स्वीकृति उपरान्त राशि रु. 718478/- जमा करवा दी गई (चालान प्रतिलिपी संलग्न) उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अनुपालना रिपोर्ट लगाई गयी शर्तों की बिन्दुवार पालना कर विधिवत स्वीकृति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



खिमचन्द मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन मुख्य संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त झालावाड


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 1057

दिनांक : 26.11.2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषय:- :- डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैंड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा झालावाड़ राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ़ोम बीनागंज टू बलबटपुरा अण्डर आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग:- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ ()/एफसीए/उवसं/2023/11019 दिनांक 16.10.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प.1(68) वन/2017 दिनांक 02.04.2018 से प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना मे प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र.सं.	बिन्दुवार विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	हाँ जी प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जोयगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।	हाँ जी प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	हाँ जी प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

8	प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।	हाँ जी प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा की अण्डर टेकिंग संलग्न है।																														
9	प्रयोक्ता अधिकरण के ध्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा संभव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है, जिसका विवरण क्रम संख्या-10 में अंकित है।																														
10	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की राशि जमा की जायेगी।	<p>जी हॉ, उपसंरक्षक झलावाड के पत्रांक एफ ()/एफसीए/उवसं/2023 /11019 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा डिमाण्ड राशि रु. 1648288/- में से समायोजित राशि रु. 929810/- के अतिरिक्त जमा करवायी जाने वाली राशि रु. 718478/- नोडल अधिकारी के वेरिफिकेशन उपरान्त खण्ड कार्यालय के A/C द्वारा (WAM Reference No 49684242) यूनियन बैंक के चालान नं० 6111683852 में A/C No. 150856111683852 में जमा करवा दिये गये है। जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है-</p> <table border="1" data-bbox="702 865 1497 1444"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या</th> <th>मद</th> <th>डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रूपये)</th> <th>समायोजित राशि</th> <th>जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>शर्त संख्या 9</td> <td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण</td> <td>735896</td> <td>17418</td> <td>718478</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>शर्त संख्या 10</td> <td>एनपीवी</td> <td>896482</td> <td>896482</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>Soil and moisture treatment works</td> <td>15910</td> <td>15910</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">योग :-</td> <td>1648288</td> <td>929810</td> <td>718478</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या	मद	डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रूपये)	समायोजित राशि	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि	1	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	735896	17418	718478	2	शर्त संख्या 10	एनपीवी	896482	896482	0	3	-	Soil and moisture treatment works	15910	15910	0	4	योग :-		1648288	929810	718478
क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या	मद	डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रूपये)	समायोजित राशि	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि																											
1	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	735896	17418	718478																											
2	शर्त संख्या 10	एनपीवी	896482	896482	0																											
3	-	Soil and moisture treatment works	15910	15910	0																											
4	योग :-		1648288	929810	718478																											
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।																														
12	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																														

13

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हॉ जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :- 1. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
2. समाचार पत्र की प्रति।

(खमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

दिनांक: 26.12.2023

क्रमांक: 1057

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन मुख्य संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त झालावाड़

(खमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

PayManager Ref Id(s) 3846607

Bill Ref No. 12144. Dated: 21/12/2023

Division Name EX.eng pwd Div-Aklara

Division Code 15294

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Approach Road Balbatpura (Forest Area)

Vendor Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/BillNo. Dated 21/12/2023

Reason: N/a

Bank AccountNo. - 150856111683852

Bank IFSC Code UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 7,18,478

(In Words): Rupees Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundreds Seventy Eight Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	718478	Workid: 173616

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3846607	5054-04-800-02-01-74-V-P		718478	Workid: 173616
	Payment Through Treasury	718478		
	5054-04-800-02-01-74-V-P		93402	Prorata Workid: 173616
	2059-80-001-04-01-98-V-P	57478		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	14370		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	21554		Prorata

Net Amount Payable In Figures: 7,18,478

Net Amount Payable In Words Rupees Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundreds Seventy Eight Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

अधिकाशी अभियन्ता
मा. नि. नि. खण्ड अकलरा
डी. डी. ओ. 15294

Devendra

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-12-2023

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6111683852
MoEF/SG File No.	F.1(68)FOREST/2017
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. AkleraJhalawar
Amount(in Rs)	718478/-

Amount in Words Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856111683852 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date 21-12-2023

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6111683852
MoEF/SG File No.	F.1(68)FOREST/2017
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	718478/-

Amount in Words Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856111683852 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed for Rs. 718478/-

(Rs. Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundred and Seventy Eight Only.)

अधिकारी अभियन्ता
राजस्थान वन विभाग
एडो डीओ 300 152404

mail

Mailbox of pwdaklera

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-ic@nic.in on Wed, 22 Nov 2023 11:00 53

To: pwdaklera@rediffmail.com

Cc: monitoring-ic@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

1. Proposal No. : FP/RJ/ROAD/11683/2015
2. Proposal Name : Road from Beenaganj road to Balwatpura
3. Category of the Proposal : Road
4. Date of In-principle : 15/04/2015
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: EXECUTIVE ENGINEER
Mobile No.	: 9828442087
Email ID	: pwdaklera@rediffmail.com
State	: Rajasthan
District	: Jhalawar
Pincode	: 326033

Funds Demand Details

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Compensatory Afforestation | : Rs. 718478/- |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 3. Penal Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 4. Catchment Area Treatment | : Rs. 0/- |
| 5. Safety Zone | : Rs. 0/- |
| 6. Additional Charges for protected area | : Rs. 0/- |
| 7. Net Present Value (NPV) | : Rs. 0/- |
| 8. Other Charges | : Rs. 0/- |
| 9. Other Charges1 | : Rs. 0/- |
| 10. Other Charges2 | : Rs. 0/- |
| 11. Other Charges3 | : Rs. 0/- |
| Total Amount | : Rs. 718478/- |

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Handwritten signature and date: 22/11/23

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2023/11019

दिनांक: 16/10/23

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड- अकलेरा।

विषय:- जायवर्जन ऑफ 0.936 है० ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा,
झालावाड़ राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बीनागंज टू बलवंतपुरा अण्डर
आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट।
(प्रस्ताव सं.FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक 10057 दिनांक 08.09.2023 के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र से प्रकरण में जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। श्रमिक दर में बढ़ोतरी 252/- से 259/- होने के कारण आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से चाहा गया संशोधित डिमांड नोट निम्नानुसार प्रेषित किया गया था। उक्त डिमांड राशि में से 929810/- रु अप्रोच रोड सावल्दा में जमा राशि के बदले समायोजित कर ली गई है।

क्र.स.	सैद्धांतिक स्वीकृती की शर्त संख्या	मद	डिमांड नोट (श्रमिक दर 259 रुपये)	समायोजित राशि	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि
1.	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	735896	17418	718478
2.	शर्त संख्या 10	एनपीवी	896482	896482	0
3.	-	Soil and moisture treatment works	15910	15910	0
4.	योग :-		1648268	929810	718478

शुद्ध देय राशि 718478/-

अतः उक्त राशि केम्पा अकाउंट में जमा करवावे साथ ही सैद्धांतिक स्वीकृती में लगाई गई शर्तों की विन्दुवार पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें तथा बिना स्वीकृती के गैर यानिकी कार्य नहीं किया जाना सुनिश्चित करावे।

o/c (वी. धर्मेन्द्र कुमार) (FS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़
दिनांक: 16/10/23

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2023/11020-23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति०. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए जयपुर।
2. संगणकीय मुख्य वन संरक्षक, योटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी गनोहरथाना/अकलेरा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हो उराकी सुनिश्चिता करे

o/c उप वन संरक्षक
झालावाड़

भीम



1500

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक व. 1 (44) वन/2015

जयपुर, दिनांक - 10/04/2015

आदेश

Construction of Road A/R to Sawalda under State plan 3054- capital lay on road and bridge (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7609/2014) के अन्तर्गत इस विभाग के समस्त अधिकार आदेश दिनांक 04/03/2015 से जारी सौदागत स्थलों को अन्तर्गत द्वारा निर्धारित किया जाता है।

यह रुक्षण स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(माननीय संन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक अभ्यासी हेतु प्रेषित है -

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्डिया पर्यावरण भवन, अलीगढ़, जोड़ें, गाम रोड नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर वन संरक्षण बी-ब्लॉक, अल्प भवन जालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं भांडल अधिकारी एफ.टी.ए. राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक कोटा।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. डी. वन संरक्षक, जालाना।
7. अधिष्ठात्री अधिवक्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग अकरला जिला जालाना, राजस्थान, जयपुर।
8. वसिष्ठ पुत्राचली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Manoj Son
Designation, Deputy Conservator
M.P. Forest Deptt., Rajasthan, Jaipur.
Date: 2015.04.10 10:29:10 IST
Reason: Approved


आदेशिका मता - वन विभाग कार्यालय, जयपुर संख्या 15/2015
दूरभाष संख्या - 0141-2277762 Mail ID: vc@forest.nic.in
Rajasthan Govt No. 15/0084

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में
निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।



(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।



(खिमवन्द मीणा) ।।
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।



(खितेशचन्द्र मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।



(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।



(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में अनुपालना में निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जोयगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।



(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया करवाया जायेगा।



(खिमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता
अधिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो
का पालन करेंगे।



(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)


प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।


(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्घादित राशि जमा की जायेगी।



(खेमचन्द मिश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।



(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाने पर आपत्ति नहीं है।



(खेमचन्द भट्टनाग)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित करवा दिया जायेगा।


(रजमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.

खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

दिनांक:

क्रमांक:

वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें राजस्थान सरकार वन विभाग

जयपुर दिनांक:- 02.04.2018

क्रमांक: प.1 (68)वन/2017

विषय:-

Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in District Jhalawar
प्रस्ताव संख्या FP/RJ/RQAD/11683/2015

संदर्भ:-

महोदय

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफन. 11-9/98- एफसी दिनांक 03.01.2005. 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in District Jhalawar में 0.936 हेक्टर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफके लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफको रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP(Online Submission & monitoring of forest wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफसी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 - CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति जमा की गई की गई धन राशि का बैंक चालान यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अधिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय

(योगेन्द्र कुमार दक)

शासन सचिव-वन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि.

खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

राजस्थान सरकार

वन विभाग

जयपुर दिनांक:- 02.04.2018

क्रमांक: प. 1(68)वन/2017

विषय:- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII & XIX in Rajasthan in Distric Jhalawar

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015

महादेय

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ. न. 11-9/98- एफसी दिनांक 03.01.2005., 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII & XIX in Rajasthan in District Jhalawar में 0.936 हेक्टेयर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीवन जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (Online Submission & monitoring of forest wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदथ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छयाप्रति जमा की गई की गई धन राशि का बैंक चालानों यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर की छयाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगी।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2023 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रयोक्ता अधिकरण को वन भूमि / क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय
(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव-वन

डीआईपीआर/सी/6306/2023

Date
Place

FORM -1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No 72 /Judl/2016

Dated 5-01-2016


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Act (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.936 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for construction of Binaganj road to Balbatpura falls within jurisdiction of Gram Panchayat Kolukhedi Maliyan Village Ganeshpura Dadawat, Ladpura Balram & Goverdhanpura in Manoharthana tehsil.

It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.936 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.: As above


(Bishnu Charan Mallick)
District Collector & District Magistrate
Jhalawar

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परसमताय वन विभागीय वन अधिकारों की कार्यवाही अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 को प्रायः 33 (1) व 7 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की बैठक आयोजित की गई जिसमें वन सचिव राष्ट्रीय वनाधिकारी समिति अकलेश अतनाकर, मन्दीरस्थान हाथ सम्पर्क सचिवों के निर्माण कार्य में अने जातीय जाति को आयोजित करने हेतु प्रायः दोषा संकेतों का अन्वेषण एवं परीक्षण करने से प्राप्त गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि को अधीन आने अधिनियम पर जारी नहीं हुआ है ना ही कार्यवाही में कोई बाधा लम्बित है।

अतः निर्धारित एवं विकल्पानुसार सचिवों सहित जिला स्तरीय समिति में अधिशासी अभियन्ता मार्तन्जित निर्माण विभाग सचिव अकलेश अतनाकर की द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को आयोजित करने की निर्णय की जाती है।

क्र.सं.	वन कार्य का नाम	वन प्रकार	उप क्षेत्र	सकल क्षेत्रफल	अयोजित ज.जा. वन भूमि
1	सकल सड़क सन्तपुरी	सुन्दरबनी	सकल	1	580X10 = 5800 वर्गफुट = 0.58 हेक्टेयर
2	सकल सड़क सन्तपुरी लोकान	सन्तपुरी	सकल	125.150	410X8 = 3280 वर्गफुट = 0.328 हेक्टेयर
3	सकल सड़क सन्तपुरी लोकान	सन्तपुरी	सकल	149	87(148) = 8560 वर्गफुट = 0.8560 हेक्टेयर
4	सकल सड़क सन्तपुरी सन्तपुरी	सुन्दरबनी	सकल	125	380X9 = 3420 वर्गफुट = 0.351 हेक्टेयर
5	सकल सड़क सन्तपुरी सन्तपुरी	सन्तपुरी	सकल	117.75	510X9 = 4590 वर्गफुट = 0.459 हेक्टेयर
6	सकल सड़क सन्तपुरी	सन्तपुरी	सकल	117.75	140X9 = 1260 वर्गफुट = 0.126 हेक्टेयर
7	सकल सड़क सन्तपुरी	सकल	सकल	203	770 वर्गफुट = 0.317 हेक्टेयर
8	सकल सड़क सन्तपुरी	सकल	सकल	41.5	8994 वर्गफुट = 0.8994 हेक्टेयर
9	सकल सड़क सन्तपुरी	सकल	सकल	101	2170 वर्गफुट = 0.217 हेक्टेयर

अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड

वन सचिव
झालावाड

जिला सचिव
झालावाड
दिनांक 10.8.2015

केन्द्राधिकार अधिनियम / 2015 - 16 / 586 - 33

- परिचालने सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही एवं प्रेषण है।
1. सीएम जिला सचिव, मन्दीरस्थान झालावाड।
 2. उप वन सचिव, झालावाड।
 3. उप सचिव अधिकारी अकलेश अतनाकर मन्दीरस्थान।
 4. अधिशासी अभियन्ता, मार्तन्जित निर्माण विभाग सन्तपुरी सन्तपुरी।
 5. अधिकार प्रदान की।

अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एन वनसंयोजक अधिकारी (भाजा)
जिला परिषद झालावाड 36-37

10/8/15

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 10.8.2015 को दोपहर: 2.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की बैठक आहूत की गई जिसमें उप खण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, अकलेरा, असनावर, मनोहरस्थाना द्वारा सम्पर्क सडकों के निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है ।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पर्क सडकों, जिनके संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा, खानपुर के द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने की अभिशंषा की जाती है ।

क्र. सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उप खण्ड क्षेत्र	खसरा नम्बर	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि
1	2	3	4	5	6
✓ 1	सम्पर्क सडक, चन्द्रपुरीया	गुलखेडी	अकलेरा	1	560X10 = 5600 वर्गमीटर = 0.56 हैक्टेयर
✓ 2	सम्पर्क सडक, गणेशपुरा लोढान	चान्दपुरामीलान	म.थाना	195/150	410X8 = 3280 वर्गमीटर = 0.328 हैक्टेयर
✓ 3	सम्पर्क सडक, गणेशपुरा लोढान	चान्दपुरामीलान	म.थाना	149	820X8 = 6560 वर्गमीटर = 0.6560 हैक्टेयर
✓ 4	सम्पर्क सडक, गणेशपुरा दडावट	कोलूखेडी मालियान	म.थाना	199	390X9.0 = 3510 वर्गमीटर = 0.351 हैक्टेयर
✓ 5	सम्पर्क सडक, लाडपुरा बलराम	कोलूखेडी मालियान	म.थाना	516/75	510X9.0 = 4590 वर्गमीटर = 0.459 हैक्टेयर
✓ 6	सम्पर्क सडक, मोर्धनपुरा	कोलूखेडी मालियान	म.थाना	164/93	140X9.0 = 1260 वर्गमीटर = 0.126 हैक्टेयर
7	सम्पर्क सडक, मोरियाखेडी	रूपारेल	असनावर	203	770 वर्गमीटर = 0.077 हैक्टेयर
8	सम्पर्क सडक, सोकला	रूपारेल	असनावर	91, 75, 100, 101	6994 वर्गमीटर = 0.6994 हैक्टेयर
9	सम्पर्क सडक, बडवेला	रूपारेल	असनावर	395	2170 वर्गमीटर = 0.2170 हैक्टेयर

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड

उप वन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमांक: वन अधिकारी अधिनियम / 2015-16 / 586 - 93

दिनांक 10.8.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड ।
- उप वन संरक्षक, झालावाड ।
- उप खण्ड अधिकारी, अकलेरा, असनावर, मनोहरस्थाना ।
- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, अकलेरा खानपुर ।
- रक्षित पत्रावली ।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

28/10/8/15

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

दिनांक 13/07/2015

कै.सं. 412

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद झालावाड़

विषय :- बीनागंज सड़क से बलबटपुरा के निर्माण मे आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीनागंज सड़क से बलबटपुरा के मार्ग मे ग्राम
पंचायत कोलूखेडी मालीयान की 0.936 हेक्टर वन भूमि आ रही है जिसके प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि पर
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की
धारा-03 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है।
अतः निवेदन है कि इस हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने का श्रम करें।

इस हेतु ग्राम स्तरीय उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदन करवा लिया गया है। जिसकी प्रति
सलंगन है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन का प्रारूप एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी होने वाला
प्रमाण पत्र का प्रारूप सलंगन है।

सलंगन उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एम.एल. गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

दिनांक 12/02/2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम बलवटपुरा ग्राम पंचायत कोलूखेडी मालियान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्रमांक	ग्राम	खसरा नंबर	ग्राम पंचायत	झायवर्जन के लिए वंचित भूमि
1	गणेशपुरा दडावट	199	कोलूखेडी मालियान	390X9.0 = 3510 वर्ग मिटर = 0.351 हेक्टर
2	लाडपुरा बलराम	516/75	कोलूखेडी मालियान	510X9.0 = 4590 वर्ग मिटर = 0.459 हेक्टर
3	गोर्धानपुरा	164/93	कोलूखेडी मालियान	140X9.0 = 1260 वर्ग मिटर = 0.126 हेक्टर
				कुल = 0.936 हेक्टर

ग्राम पंचायत
कोलूखेडी मालियान
ग्राम क्षेत्र एवं वन
संरक्षण समिति

ग्राम पंचायत
कोलूखेडी मालियान
कोलूखेडी मालियान

दिनांक ..18..... / ..07.... / ...2015.... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति मनोहरस्थाना की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्राधानानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लभित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्रमांक	ग्राम	खसरा नंबर	ग्राम पंचायत	झायवर्जन के लिए वंचित भूमि
1	गणेशपुरा दंडावट	199	कोलूखेडी मालियान	390X9.0 = 3510 वर्ग मिटर = 0.351 हेक्टर
2	लाडपुरा बलराम	516 / 75	कोलूखेडी मालियान	510X9.0 = 4590 वर्ग मिटर = 0.459 हेक्टर
3	गोर्धनपुरा	164 / 93	कोलूखेडी मालियान	140X9.0 = 1260 वर्ग मिटर = 0.126 हेक्टर
				कुल = 0.936 हेक्टर

मनोहरस्थाना
क्षेत्रीय वन अधिकारी

मनोहरस्थाना

विकास अधिकारी

मनोहरस्थाना

उपखण्ड अधिकारी

मनोहरस्थाना

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हखेड़ी मालियात

पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

क्रमांक:-

दिनांक 13/7/2015


श्रीमान डा.दिशाधी डा.पिपना सहित डा.दिशाधी डा.पिपना सहित
डा.दिशाधी डा.पिपना सहित डा.दिशाधी डा.पिपना सहित

विषय:- झालावाड़ प्रमाण पत्र

सन्दर्भ:-

श्रीमान डा.दिशाधी डा.पिपना सहित डा.दिशाधी डा.पिपना सहित द्वारा ग्राम गोरापुर
खसरा नं. 199 की 0.351 हेक्टर, ग्राम लालपुरा खसरा नं. 516/75
की 0.459 हेक्टर एवं ग्राम गोरापुरा के खसरा नं. 164/93 की 0.126 हेक्टर ग्राम
पंचायत कोल्हखेड़ी मालियात के वन विभाग की भूमि में से दोहरा तह सिद्ध कर
वीनांगुल से बलबल पुत्र का गिराव फिसल जाता है तो ग्राम पंचायत कोल्हखेड़ी मालियात
को कोई आपत्ति नहीं है।

गए झालावाड़ प्रमाण पत्र डा.दिशाधी 13/7/2015 को ग्राम पंचायत
कोल्हखेड़ी मालियात से गेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया जात


आ.स.स.

ग्राम पंचायत कोल्हखेड़ी मालियात
पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़

13

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हखेड़ी मालियान

पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

क्रमांक:-

दिनांक... 26/11/2017

श्रीमान- अधिष्ठात्री अभियन्ता

सां.नि. विभाग इण्डियन रेलवे

विषय:- सर्वेक्षण साइट वीगांगण रोड से बलबल पूरा तक टावर साइट खनन के हेतु

प्रतिपत्र

उपर्युक्त विषय में विवेक है कि सर्वेक्षण साइट वीगांगण रोड से बलबल पूरा तक टावर की सड़क बनाने के लिये 1070 मीटर लम्बाई का विभाग से जुड़ा हुआ है। बलबल पूरा के सभी सातवासी इसी सड़क से जुड़े हुए हैं। ग्राम कारिगरो की मांग पर सां.नि. विभाग द्वारा टावर की सड़क विद्यालये के लिये का विभाग से जुड़ा हुआ है। 1070 मी. लम्बाई का 8.50 मीटर चौड़ाई की का विभाग की अर्थ क्षतिपूर्ति के लिये का प्रस्ताव संख्या 5 के लिये जमावाले तथा का विभाग के प्रस्ताव की कोटि-कापी संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न :- प्रस्ताव प्रती सं. - 5

ग्राम सेवक/विद्वान् सचिव
ग्राम पंचायत कोल्हखेड़ी
पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

कमलध ग्राम पंचायत कोयंबेरी जिल्हाचे प.स. मनेस्थान

ता. 12/2/2014

श्री मंगू विठ्ठल अचिकरी मनेस्थान पंचायत समिती मनेस्थानचे श्री अ.क. मोड 2372 - 2415 दिनांक 12/2/2014 वी अनुपालनात श्री मंगू अ.क. मोड संयुक्त ग्रामपंचायत कोयंबेरी जिल्हाचे श्री अ.क. मोड 2372-2415 दिनांक 12/2/2014 बुधवार को सकाळ 10 वजे ग्राम सभा का झोपडा किंवा गाव मिसरे किंवा कर्मचारींचे संकेत प्रतिक्रियांचे तयारी ग्रामवासिनांचे भाग लिए

- 1. श्री मंगू अचिकरी सरपंच
- 2. श्री लाल माली उपसरपंच

श्री अ.क. मोड
 ग्राम सभा
 श्री अ.क. मोड
 ग्राम सभा
 श्री अ.क. मोड
 ग्राम सभा
 श्री अ.क. मोड
 ग्राम सभा

3. श्री वीरेंद्र सिंह ग्रामसेवक

4. श्री हरिशंकर बोधा ग्रामसेवक

5. श्री कमलेश सुमर ग्रामसेवक

6. श्री अ.क. मोड वी.कं. 9799237378

7. श्री व्यसवीर सिंह पं.अ. रा.मा.वि. कोयंबेरी जिल्हाचे श्री अ.क. मोड

8. श्री उमेश बाबा 70 रु. अ.अ.वि. कोयंबेरी जिल्हाचे श्री अ.क. मोड

9. श्री अ.क. मोड 2372-2415 ग्रामसभा वी.कं. कोयंबेरी जिल्हाचे श्री अ.क. मोड

10. श्री ममता बाई सहायिका कोयंबेरी जिल्हाचे श्री अ.क. मोड

11. श्री आलु जाले वी.कं. कोयंबेरी जिल्हाचे श्री अ.क. मोड

12

13

प्रस्ताव सं. 2 ग्राम सभा के गांव को लुटेरी मालिमान को जलदाय परिशोधन से कोड़े देते प्रस्ताव है कि वरिष्ठ सर्व समिति से अनुमोदन किया गया ताकि ग्रामवासियों को पेयजल से निजाम मिल सके इसका प्रस्ताव बनाकर सहभाषक कमिश्नर सिविल विभाग एण्ड मोटरवाहन को भिजवने देते प्रस्ताव पारित किया गया जिसका सर्व समिति से अनुमोदन किया गया

प्रस्ताव सं. 3 ग्राम सभा के कामलिङ्ग सायबीस प्राथमिक विद्यालय को लुटेरी मालिमान के पकड़कर 32 दिनांक 12/1/14 को कब्जा कर लिया गया कि स्थानीय विद्यालय प्रांगण की सीढ़ियां लगाकर वारिष्ठ के कारण लुटेरी से हो चुकी है जिससे बच्चों को घी-आधे का जनी रहनी है इस हेतु सर्व समिति से अनुमोदन किया गया ताकि स्थानीय विद्यालय से लुटेरी मालिमान की सेवा कराया जा सके रकम - 1.00 T.P.C/P.C भौतगणना करवने देते प्रस्ताव पारित कर सर्व समिति से अनुमोदन किया गया

प्रस्ताव सं. 4 गेराग मोहनान्तर्गत ग्राम सभा के निम्न कार्य करगोड जोन देते प्रस्ताव सर्व समिति से पारित कर अनुमोदन किया गया कि निम्नानुसार है -

1. सर्व लाला व निमार्ण गहरा कराना गांगोहोनी - 15.00 लाख
2. भूमी सन्तुली करण चारगाह राजका कर को लुटेरी मालिमान - पतीना लाउरीवाल निमार्ण स्वतन्त्र वृद्धारोपण - 25.00 लाख

प्रस्ताव सं. 5 ग्राम सभा को लुटेरी मालिमान की समिति सभ्यता विभाग से जलदाय के लिए 1070 मीटर लम्बाई का नुक्ति के से पुष्पली है तथा ग्राम सभा के लिए ग्रामवासियों का हित के ज्ञान जान है ग्रामको की मरुत परतन नुक्ति के से सर्व समिति निमार्ण विभाग एण्ड अफेयर का साथ सभ्यता के लिए 1070 मीटर लम्बाई व 8.50 मीटर चौड़ाई के वन विभाग की नुक्ति का शिकायत के प्रस्ताव ग्रामवासियों के कोरक का सर्व समिति से पास कर वन विभाग के जलदाय की कोठी पाकी निजाम के निमार्ण लिहाजा है

ग्राम सभा की सेवा सभ्यता से ग्राम की कष्टदायक से सचान्दोस सभा के की मरु

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दरभाष:- 0744-2500194
 क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/ 3241 दिनांक : 22/6/23
 निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
 राजस्थान जयपुर।

विषय: Diversion of 0.936 ha of forest land in favour of Public Works Department Aklera Jhalawar Rajasthan for construction for road from Beenaganj to Balwantpura under RIDF scheme in jhalawar district. (Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग: उप वन संरक्षक झालावाड़ का पत्रांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/4791 दिनांक 18.05.2023 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक प.1(68) वन/2017 जयपुर दिनांक 02.04.2018 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक झालावाड़ ने प्रासंगिक पत्र से तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है:-

1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।

FCA
 वन
 21/6/23

1376
 21/6/23

Recd
 21/7

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
 Designation : Chief Conservator Of Forest
 Date: 2023.06.22 10:50:51 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4105860

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी /पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों की राशि जमा करा दी जावेगी।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/ 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	सम्पर्क सड़क सावल्दा (स्टेट प्लान 5054) की जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निरस्त की गयी की जमा राशि 12697639/- में से उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा राशि रुपये 1709586/- के समायोजन की अभिशंषा की गयी है। जिसका मदवार विवरण संलग्न है। 1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं रख रखाव हेतु राशि रुपये 735896/- 2. एन0पी0वी0 राशि रुपये 957780/- 3. सोईल व मोईस्चर ट्रीटमेंट कार्य राशि रु 15910/- इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.06.22 10:50:51 IST
Reason: Approved

11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता संलग्न कर दी गयी है।
12	राज्य सरकार द्वारा दी गयी इस अनुमति का प्रबन्धन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
13	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 /एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर ऐजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दी गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

भवदीय

संलग्न:- उपरोक्तानुसार - 3 सेट

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक झालावाड़ को पत्र 4791 दिनांक 18.05.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.06.22 10:50:51 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2022/ 4791

दिनांक: 18-05-23

निमित्त :-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

FCA
ny
6-6-23
1-1-23
होदिय,

विषय :- Construction Road From Beenaganj to Balwatpura in District
Jhalawar. Proposal no. FP/RJ/ROAD/11683/2015

प्रसंग :- अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा के पत्रांक 87 दिनांक
27.04.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (68) वन/2017 दिनांक 02.04.2018 से प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना में प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधगुण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	जी हां, प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जावेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	जी हां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जावेगी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	जी हां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।	जी हां, प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, जी राशि रु 1709586/- सम्पर्क सड़क सावल्दा (स्टेट प्लान 5054) की जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राज0 सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निरस्त की गयी की जमा राशि 12697639/- में से समायोजन की अभिशंषा की जाती है। जिसका मदवार विवरण संलग्न है। 1. क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण एवं रख रखाव रु 735896/- 2. एन.पी.वी. रु 957780/- 3. सोइल व मोइस्चर ट्रीटमेंट कार्य रु 15910/- अण्डर टेकिंग संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
13	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
2. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

दिनांक: 18-05-23

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2022/ 4792
प्रतिलिपि :- अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में
निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।




Ne
(वी वेतल कुं IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

Nea
(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़



अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेसचन्द मीणा)
अधिसाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिसाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

Na
(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

NC
(वी. चैतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ.15294

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में अनुपालना में निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जोयगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

NC
(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द्र मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया करवाया जायेगा।

Neu
(वी जैतल कुमार IFS)
जय लक्ष संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ.15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता
अधिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो
का पालन करेंगे।

Ne
(वी. तेज कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।

Neu

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

Neu

(बी. चैतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़




अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

Ncu

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाने पर आपत्ति नहीं है।

Na
(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द भीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294


अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura
under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित करवा दिया जायेगा।

Ne

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़



कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2023/ 2865

दिनांक: 21-04-23

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड- अकलेरा।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा,
झालावाड़ राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बीनागंज टू बलवंतपुरा अण्डर
आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट।
(प्रस्ताव सं.FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक 50 दिनांक 17.04.2023 तथा इस कार्यालय का पत्रांक
11646 दिनांक 01.08.2019, 9644 दिनांक 24.09.2020 एवं पत्रांक 10543 दिनांक
09.12.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र से प्रकरण में जमा
करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। श्रमिक दर में बढ़ोतरी 252/- से
259/- होने के कारण आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से चाहा गया संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार
प्रेषित है:-

क्र. स.	सैद्धान्तिक स्वीकृती की शर्त संख्या	मद	पूर्व में प्रेषित डिमांड नोट की राशि (श्रमिक दर 252 रूपये)	संशोधित डिमांड नोट (श्रमिक दर 259 रूपये)	वि.वि.
1.	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	716007 /-	735896 /-	100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव
2.	शर्त संख्या 10	एनपीवी	693220 /-	957780 /-	-
3.	-	Soil and moisture treatment works	15480 /-	15910 /-	-
4.	योग :-		1424706 /-	1709586 /-	

शुद्ध देय राशि 1709586 /- (सत्राह लाख नौ हजार पांच सौ छियासी)

उक्त डिमाण्ड राशि को आप द्वारा आज दिनांक तक जमा नहीं करवाई गई है। अतः उक्त राशि केम्पा अकाउंट में जमा करवावें साथ ही सैद्धान्तिक स्वीकृती में लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें तथा बिना स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य नहीं किया जाना सुनिश्चित करावें।

(वी. चेतन कुमारIFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बदलनी है सूरत - दुष्कृत

29 अप्रैल, 2023 शनिवार

जीवन और बांसुरी दोनों में होल हैं, पर धुन पैदा कर सकते हैं

का मक कि जगन का भी मानना है कि इंसानों का संतानियत दिव्यानी चाहिए। इस भावना को बंधने हईकईने ने कला कि हास्यमय मोसास्ट्री के निवासी पशुओं का पामां भवजत अल्पक कमान के लिए पायज है, खासतौर पर भीषण मना के दो देखी हुए।

पशु जगनों द्वारा रहे डीएम को खाना खिलावे से रोकने पर मुंदाई की एक हास्यमय सांगठन का खिलाफयथिका दाख की पशु। जितर पर उनको विरिष पर भुक्ताना और जिरियम राजेश मन, पक्ष्यता की मंच मुचुवाई कर रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस संबंध में जांचकायदा से सोमवार की अन्य सदस्यों की रिपोर्टों पर च्यान दिया जाए, ताकि पशुओं की लाठी से मारने वाले ऐसे सुरक्षा गार्डों के भ्रिस्तानाईचल करवाई जाई।

कोर्ट ने कहा कि जमाना स्या मानना है कि इस तरह की जबरदस्ती पशुओं से करणार है। सरक: आनया मूखसा गार्ड या अन्य कर्मियों के ऐसे स्या पशुओं को खयकना उग्र हो गेगा। आदिस में पिछले महिने भी स्या रूप में अडेस था कि आनया मूखसा गार्ड उनक स्या बरकना स्यन सयान में स्वीक्यर नही हो सयती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि स्या डोग को भी जीने का हक है और उनकी नपयदी भयजो में हो। स्पीड डोग से अगर खरा दिखाई होई है, तो उन्हें स्पीड डोग भयन बना जायिर है।

पलायिक अडेस 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाकल सफल पर हुए देशज्यायों गरी में 82श जोगों में कहा कि उडे हाताई है कि हर डोग/पशु/पशु जितने में आनया मूखसा द्वारा सयने को पशुना कानन है। पशुधर्मियों ने पशुओं से उडे कानों में चोच चर डीके के बाद अवरक कोर्ट जाते हैं और अदालत बा-बा दलील देते हैं कि इंसानों का स्यापण म्यंजनी होनी और ऐसे मुंदाई का रास्ता निकलना होगा।

उसमें मुंदाई उगरी गुजगत के गांव मेंचो की बाद आ गई। गिनापान से 15 किमी दूर इस गांव के पास इस गांव का सयाना है, जिसके चारों में मुंदाई सल ही में मॉडिया से पना पना। पिछले 70 सालों से गांववाले खजानागिरण (डोग के लिए थोड़ा अजगर आनया रखना) नाम में डूब चका रहे हैं। उडे चरु चका रहे हैं। पशुधर्मियों ने मुंदाई को स्या में उडे मुंदाई किया था, इन्के बाद मरने जोगना का डोगा मुंदाई दान किया। उडे मुंदाई के मांसम से पहले हर भुपट्टर की जमाना करती है और जमाना योनों सयाने वाले को सयाना के लिए मुंदाई का अधिकार मिल जाता है। इस घेरे का टापींग डूब की गतिविधियों में होता है। गेठला पा नाम से उनको विक्रय में बे मयाना करी गरी की उग्रर के सय वानन है।

आजारा पडेन नाम के डोग ने अपनी मोटरसाइकिल में स्या डीए हुए इन्के पीडे लिखा है चकुराओ पाई श्री राम रोडेन, ये डोग 300 मलना डोग के लिए ल जाते हैं। उनका कहना है कि पिछले दस सालों से डोग के लिए भोजन में जाने हुए चरक की चोच करे। हिलचल में है कि आजा चको वाले आजा दान करते हैं, डेपरी डोग दान करती है। उडे गांव में दो दिन गुर्गीना-अमययारी को लखरूडिएर जाने हैं।

अंशस स्या गतिगति के उडे गांव में सयस्य-खंडे नही है 2 बंधुओं की पार पर गडे है, ताकि सल डगर को अयारी वाला गुग गांवर, पेशी और पांधियों को भी मदद कर रहे हैं। जमानापीडे पंढरे पशु निरन्तरचलना चलते हैं, जहां डूब महिने 2 लाइव डू, खंडे करे हैं। उनके डूब को गांव वालों के जमाने या बिस्के को गुणवत्ति पर सोनेना मिलता है। सोसप में बडे, डोग चोरे को रिना रिखा के हर गमयया का गमनाया स्ये गयकते हैं।

भया यह है कि कौन कयकते है कि जितना में सयस्य-खंडे नही है 2 बंधुओं की तरह जीवन में भी उडे डोग और खालीपन है, पर अगर उन पर काम करे, तो वही होल खालीपन जाइई भुन भेन कर सकते हैं। ए.एन. गुप्तामन

आज बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का होगा समाधान

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
भनोदरायाना। कयने में जयपुर विद्युत निगम निगम निरिडेरे के आसिस में 29 अगि को उपभोक्ता सयस्य सयाना गिडर का आगोचर किया जायगा। सयस्य सयस्य अधिकारी यलवीर सिंह ने चनाया कि निगम कुमी उभोक्ताओं ने माने 2023 में अपन वकना मिल जगा नही कयवए है। उनके मुख्यमंत्री बिसन उजनी मिय योचना का लाय प्रान नही होगा।

एवीटीपी के परिंडा अभिमान के तहत परिडे बांधे

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
शानलावाड। एवीटीपी द्वारा प्राणे परिंडा के पानी की सयस्य के लिए परिंडे बांधे भीषण गमी का सयस्य चरा का निर्यात पारकी है हर जगज गरी पारकी है। परिंडा के परिंडाओं में पोला सयस्य के गामने भयानी पान में परिंडे बांधे। इस अयसय पर गति कयवकयाना महयन अडन डेन मुंदाई, अयसय उपायसय गवे मेवकान, अडन डेन भीषण मुंदाई डू मुंदाई, हांतिन मुंदाई जाति यथोक्त्ये हांतिन रहे।

सम्पादक सयाम सोनी द्वारा पाटन एक्सप्रेस दैनिक झालावाड 326001 में मुद्रित एवं प्रकाशित महायक सम्पादक एवं व्यवस्थापक दिलीप सोनी

मथुरा लाल पड़ासली बने आम आदमी पार्टी डग ब्लॉक अध्यक्ष

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
जयपुर में निर्गत ऑर्डिनेरिग में आम आदमी पार्टी के 1057 पराधिकारियों ने एक साथ ती रायष। जितने प्रशानावाड जिले के डा क्षेत्र के मथुरा लाल को डग ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर ब्लॉक में सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और पुन मानाओ आतिशयानी पडको देन मथुरा लाल ने कहा कि सम्पूर्ण सयस्यन के साथ साथ डग विभाजन में आम आदमी पार्टी इन बार अपना उम्यदवार्यन घेयन में जगरी निम्की तैयारी हेतु संगठन विनयार पर वहुत तेजी से काम किया जा रहे है। आगामी 15 दिनों में डग विभाजन में 200 पराधिकारियों और रायष सोंगे। और उमके बाद 2023 विभाजन में 200 पराधिकारियों को जायगी। इस मौके पर डा क्षेत्र से बिसाल लाल, विचित्रानंद, उडेर प्रजोद, कृपाल सिंह, शोका अली, याद सिंह, निव सिंह, शंकर सिंह, कमन सिंह, गुमान सिंह, देवी लाल सेन, सयान लाल, पवन सिंह, शंकर सिंह, गिरीधर लाल अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विधिक सेवा शिविर सम्पन्न

झालावाड। “पाटन एक्सप्रेस दै.”
गजस्थापन सयस्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निरिडगुमयार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिया गुमयमन जिला एल सेवान सयस्यनी के गुमयसरी में नालस विधिक सेवा शिविर को आयोजन किया गया।

कयमग को अयस्यका करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अंति, जिला एवं सेवान सयस्यनी) नोकस कुमार सयाने ने कहा कि विधिक सेवा शिविर के आयोजन का उदेश्य एक ही छत के चोचे विधिक सहायना प्रदान करके केट एवं सय सयकार को सोक कयवकयारी योचकओं को अयस्यारी देने के साथ-साथ पाठ यथोक्तों की लाभांनित करना है। उडेने कहा कि सयस्य पालिका के प्रशानन के सय सयस्यन से सयस्यगलक परिणाम सयने आ रहे है।

उडेने कहा कि भारतीय संविधान में सयस्य एवं कानून के शासन की अवधारणा की गई है। मयाज का उडेने भी वही अधिकार या आय किमी निर्यापय के कारण सयस्य में योचन पर हुए अडन कि सुलुक विधिक सेवाएं प्रनायस करती हेतु विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम 1987 अधिनयन

निःशुल्क स्वर्णप्राशन शिविर संपन्न

अकलत “पाटन एक्सप्रेस दै.”
कयने में स्थित केशव आर्युर्विदक में डिक ल कलिंज के से टें लाइव न, नि ड अडनल में यारीना कयडर में अग्रेल माह के पुरुष पक्षर पर आज सयने से 16 वर्ष तक के 160 वयसी को स्वर्णप्राशन चिलना गया। जात है कि केशव आर्युर्विदक

महागाई राहत कैम्पों में जबरदस्त उत्साह

कय “पाटन एक्सप्रेस दै.”
दक्षिण के अडनलनन केंडे श्री राध प्रुम मिथित महागाई राहत कैम्प में द्युष्टी पर गजिगयानी युवा निर डुयन सिंह पहलीन आयसयन की मयाड कर मयकर की जनकयण दायी योचनाओं को जानसरी दे रहे है आ साथ ही सयकार की योचन योचनाओं का बयु हुआ लाय आम जन के पंजीयन कर उडे गांठो काई निरिडर कर रहे है आम जन योचनाओं का गांठी काई उग्रर कैम्प में पंजीयन पाकर आमजन के चहेर खिल उठे। जिला प्रशानन कोडे ने महागाई राहत कैम्प में व्यापक इंतकाय कि है। जिले में कैम्प को चोचे दिने भी लाभांनित से सराहने के साथ अयन एएर परिवार का स रिकडेसन करवाने पयुडे। कैने के चोचे दिने भी उग्ररधयन कैम्प में लोनों में दिखा डोगन, लोभांधियों ने सय मयकार का जदाया आभा, सयस्यन सयकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी सयकार के गजीगयानी युवा निर डुयन सिंह गजलेन लागात कैम्प में मुसोदी से अपने कार्य में उडे हुवे है उन के साथ और कयमकरी भी आम जन के रिकडेसन कर लाय देते में सने है।

ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
अनकयन के निदेशों पर वयसी कों कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें चडी निरि निवासी उग्रपुर् को महामासिय घोषित किया गया। जिनको पंजाब पदनायक सयानत किया में उअरक भविय का अयस्यनी जिनोने में मुख्यमंत्री अशोक महलोन, प्रेशे काउंस अध्यक्ष जिला काउंस अयस्य वीरेंद्र सिंह गुप्ता, प्रायन प्रतिनिधि पंजीनी मययन वैकु सिंह परिहार, पूरि विधायक पयनलान, यकीरुददीन चयसी, यकीर अयस्य नंदेंद्र सिंह कयना, पूरि ब्लॉक अयस्य भयानय सिंह चयपुणी, उग्र प्रयनत सिंघां जेन आदि का आभाय व्यक्त किया चडी निरि नेवाया कि पार्टी ने उनपर को विनयारी सोसि हे उमपर चर उडनको और पार्टी की सति व नीति के लिए निगडान रहेंगे।

जिला कलक्टर ने महागाई राहत कैम्पों का किया निरीक्षण

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

यस रडेड डग परिसर में आयोजित सयस्य राहत कैम्प में लात सिंह को सय सयकार द्वारा सयस्यति 6 योचनाओं में लाय को गयएडी किती। योचन पहल कैम्प में उडे अडरि योचन गीरे मिलेयुड सयस्यी योचना, सुकयमी अशोक महलोन को भयवक डालयययन कैम्प में गयएडी योचन गीरे मिलेयुड सयस्यी योचना महारा गत कैम्प में सुकयमी को पुरी योचन योचन, मयाजिक सुरेश सयन योचन।

कोटा रेल मंडल से सेवानिवृत्त हो रहे 28 रेल सेवकों का विदाई सम्पन्न

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
कोटा। रेलवे विभाग कोटा यखन से अग्रेल माह में अनुसूचितकत 28 रेल सेवकों का सभागाई जिला सयस्यी समोरी आयोजित किया गया। अयस्य सयस्यन एल अयस्य विभागीय सयस्यनी के तहत सयस्यति भना यारी द्वारा अनंनिय अधिकर दिलाये जाते हुए अयस्यी को जा सकती है तथा शाखायसी सेचन पर सयस्यति सयस्यनी द्वारा भी अनंनिय अधिकर हेतु अनुसूचों को जानी है।

पिस्टल एवं देशी कट्टे सहित तीन गिरफ्तार

कोटा। “पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के निदेश पर जिले में चलाया जा रहे विद्येय अधिपान के तहत सयस्य चोचकरी, मिथोली एवं जयपुर पुलिस ने कयवकरी करते हुए दो हथियार यकतारी को अडेथ गिरफार याने गिरफार किया।

पेंशनर्स महासंघ की कार्यकारिणी घोषित

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ झालावाड के अध्यक्ष अयस्य कयार जेन ने निगम प्रकाश अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। संरक्षक योमेश चं ड शर्मा, सयस्यकार भनर सिंह केनवा, वरिष्ठ उपायस्य रतनलाल सुयन, उपायस्य प्रकाश चंद व्यास एवं अशोक

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि राण्ड अकलेरा जिला झालावाड

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
कोटा। रेलवे विभाग कोटा यखन से अग्रेल माह में अनुसूचितकत 28 रेल सेवकों का सभागाई जिला सयस्यी समोरी आयोजित किया गया। अयस्य सयस्यन एल अयस्य विभागीय सयस्यनी के तहत सयस्यति भना यारी द्वारा अनंनिय अधिकर दिलाये जाते हुए अयस्यी को जा सकती है तथा शाखायसी सेचन पर सयस्यति सयस्यनी द्वारा भी अनंनिय अधिकर हेतु अनुसूचों को जानी है।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तें

“पाटन एक्सप्रेस दै.”
झालावाड। जिला कलक्टर डॉ. भाली दीक्षित ने युडयक को सयस्ययय डू डालयययन यारी सने व चले रहे महागाई राहत कैम्पों का निरीक्षण किया। इस दौरान झालावाड कैम्प में निरी प्रभारी सुकयोनय सेन, पायडे मोहयदय रायषक खान, ओम पांडक एवं डालयययन कैम्प में नगर कलक्टर अधिपानी अधिकारी सके रसुम सति चालयययन एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लात सिंह को मिली 8 योचनाओं में लाय को गयएडे।

भवन (योगेन्द्र कुमार दत्त शासन सचिव-)